रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2017/ज्येष्ठ 15, 1939
No. 1580] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2017/JYAISTHA 15, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का. आ.1785(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25 जून, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1454 (अ) के द्वारा सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, बोम्बे को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका अधिकार-क्षेत्र अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य है;

और जबकि, श्री निनाजि खाण्डू मोरे, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बोम्बे, जिन्हें 28 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 3520 (अ) के द्वारा उक्त विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, फरवरी, 2017 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 28 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 28 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 3520 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, बोम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री एस.एस. अदकर, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बोम्बे को उक्त विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

S.O. 1785(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 1454 (E) dated the 25th June, 2011, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th June, 2011, notified the Court of City Civil and Sessions Court, Bombay, as a Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Ninaji Khandu More, City Civil and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 3520 (E) dated the 28th December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th December, 2015, has superannuated in February, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 3520 (E) dated the 28th December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th December, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby appoints Shri S.S. Adkar, City Civil and Additional Sessions Judge, Greater Bombay as Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

का. आ.1786(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08 फरवरी, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 398 (अ) के द्वारा सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ग्रेटर बोम्बे, जिसमें श्री विजय वेंकटराव पाटिल, सिटी एवं अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका अधिकार-क्षेत्र अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य है;

और जबकि, श्री विजय वेंकटराव पाटिल, सिटी एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बोम्बे का स्थानांतरण बोम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा औरंगाबाद कर दिया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री वी. पी. अव्हद, सिटी सिविल एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बोम्बे को उक्त विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2017

S.O. 1786(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 398 (E) dated the 8th February, 2016, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 8th February, 2016, notified the Court of the City Civil and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, presided over by Shri Vijay Venkatarao Patil, City and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, as a Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Maharashtra for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Vijay Venkatarao Patil, City and Additional Sessions Judge, Greater Bombay, has been transferred to Aurangabad by the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Bombay, hereby appoints Shri V.P. Avhad, City Civil and Additional Sessions Judge, Greater Bombay as Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.06 19:09:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.